संख्या:12/2019/121जेएल/22-3-19-100(14)/2019

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2019***

विषय: जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध 06 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1663/सामा-1(3)/बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 21-01-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध निम्नलिखित 06 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	सि0/वि0 बंदी विवेक मिश्रा उर्फ पिन्कू पुत्र श्री सुधाकर मिश्रा	जि0का0गौतमबुद्धनगर	के0का0बरेली
2	सि0/वि0 बंदी सुधीर उर्फ राजसिंह भदौरिया पुत्र श्री गोपालचरण भदौरिया	जि0का0गौतमबुद्धनगर	के0का0फतेहगढ़
3	सि0/वि0 बंदी कप्तान सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश	जि0का0गौतमबुद्धनगर	के0का0नैनी
4	वि0 बंदी सुरेन्द्र पण्डित पुत्र श्री धर्मसिंह	जि0का0गौतमबुद्धनगर	जि0का0कासगंज
5	वि0 बंदी मनोज भाटी पुत्र श्री उदय सिंह	जि0का0गौतमबुद्धनगर	जि0का0सीतापुर
6	वि0 बंदी शैलेष उर्फ शैलू पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह	जि0का0गौतमबुद्धनगर	जि0का0शाहजहॉपुर

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:12/2019/121जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/बरेली/फर्रूखाबाद/प्रयागराज/कासगंज/सीतापुर/शाहजहॉपुर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर/बरेली/प्रयागराज एवं पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद/कासगंज/सीतापुर/शाहजहॉपुर।
5. अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर/कासगंज/सीतापुर/शाहजहॉपुर।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली/फतेहगढ़/नैनी।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in